शासनादेश संख्या-2/2016/बी-2-244/दस-2016-2/2015
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(15)/2015

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2016

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश की जिला पंचायतों को अवशेष सामान्य समनुदेशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि 162826.00 लाख की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 94.85% धनराशि में से अब तक दी जा चुकी धनराशि को घटाते हुये अवशेष **4%** धनराशि रूपये **6513.04 लाख (रूपये पैंसठ करोड़ तेरह लाख चार हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	6513.04 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-2/2016/बी-2-244(1)/दस-2016-2/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-2/2016/बी-2-244/दस-2016-2/2015 दिनांक 10 फरवरी, 2016 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वर्ष 2015-16 में सामान्य समनुदेशन की धनराशि का आवंटन

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर

196- जिला पंचायतों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

अनुदान संख्या-61 **(धनराशि रु0 में)**

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
1	मेरठ	8766552
2	बागपत	6604223
3	गाजियाबाद	7854726
4	गौतमबुध्दनगर	6486988
5	बुलन्दशहर	10681386
6	सहारनपुर	10277577
7	मुजफ्फरनगर	9268056
8	आगरा	10544612
9	अलीगढ़	10023569
10	हाथरस	6851718
11	एटा	6773562
12	कासगंज	5939892
13	मैनपुरी	7177370
14	मथुरा	8297613
15	फिरोजाबाद	7932883
16	बरेली	10740003
17	बदायूँ	9489499
18	पीलीभीत	7757031
19	शाहजहाँपुर	9183386
20	मुरादाबाद	7333683
21	अमरोहा	6682379

अनुदान संख्या-61 (धनराशि रु0 में)

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
22	रामपुर	7275066
23	बिजनौर	11716959
24	लखनऊ	9320160
25	रायबरेली	8388796
26	अमेठी	9033586
27	हरदोई	13273576
28	उन्नाव	10297116
29	सीतापुर	14784601
30	खीरी	13390810
31	फैजाबाद	8753526
32	अम्बेडकरनगर	8388796
33	सुल्तानपुर	8916352
34	बाराबंकी	11326177
35	गोण्डा	10876777
36	बलरामपुर	7170857
37	बहराइच	10160342
38	श्रावस्ती	4617745
39	इलाहाबाद	15488009
40	कौशाम्बी	7040596
41	फतेहपुर	9098717
42	प्रतापगढ़	10525073
43	वाराणसी	8610239
44	चन्दौली	7066648
45	गाजीपुर	11365255
46	जौनपुर	14263558
47	मिर्जापुर	9176873
48	सोनभद्र	9144308
49	सन्तरविदासनगर (भदोही)	6200414
50	हमीरपुर	5334180
51	बांदा	6806127

अनुदान संख्या-61 (धनराशि रु0 में)

क्र0सं0	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
52	चित्रकूट	5737988
53	महोबा	5086684
54	गोरखपुर	12277080
55	महाराजगंज	8779578
56	देवरिया	9665351
57	कुशीनगर	11000525
58	बस्ती	8447413
59	संतकबीरनगर	6519553
60	सिध्दार्थनगर	8238996
61	आजमगढ़	14387305
62	मऊ	7203422
63	बलिया	10030082
64	कानपुर नगर	6858231
65	कानपुर देहात	8160839
66	फर्रूखाबाद	6793101
67	कन्नौज	6532579
68	इटावा	6493500
69	औरैया	6324162
70	झांसी	6799614
71	ललितपुर	6167849
72	जालौन	6096205
73	शामली	5848710
74	सम्भल	7320656
75	हापुड़	8056630
	योग	651304000

(रुपये पैंसठ करोड तेरह लाख चार हजार मात्र)